

तमारी कही हो गयी है। कही वादी का नाम
पेश करे। पेश होने पर जारी हो। पत्रावली जारी
तमारी प्रतिवादिगण हेतु दिनांक 11/11/19 को पेश
हो।

11/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
को अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली आदेशानुसार आईन्द
दिनांक 11/11/19 को पेश।

10/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकलाग उप.
पीठासीन अधिकारी
को अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली आदेशानुसार आईन्द
दिनांक 10/11/19 को पेश।

31/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजीर
वादी की ओर से वकील की सुमापना
ने एक प्रार्थना पत्र इस सम्बन्ध में पेश
किया कि भूमि खण्ड नं० 1774 का भाग
शुगलपुरा काका वाद दस्तगार किया। पीठ
भूमि खण्ड नं० 1773 का 1774 के सुमापना
850 है जो भूमि आधी/वली का गलत मापना
की वजह से भूमि दस्तगार कब्जा काका की भूमि रही
है जो काका खानदान होने के कारण बड़ा माप होने
के कारण आदेशानुसार दिनांक के नाम दर्ज हो गयी
मौके पर लीने मापना ने काही कलवा का
तदनुसार काका काका रहे हैं। सुमापना कलवा
वादी के एक के खतरा नं० 1776/1 रम्का 0.4150 है

dr

ख० न० 1774 में 0.74 हैं पश्चिमी ओर
 तथा ख० न० 1775 में 0.70 हैं पश्चिमी ओर
 की भूमि आभी दुषी तथा उनके भागों के
 शेष भूमि आभी है इसी अनुदान वाली नोके पर
 काबिल काबल है रिपोर्ट दुमारी के समक्ष ख० न०
 1774 में वादी का नाम दर्ज नहीं है सका
 फिलकी दुमारी हेतु यह दावा पेअ किया गया है
 फिलमें समस्त तबयों का समावेश नहीं है
 सका तथा प्राथमिक तुरि रह गयी। इसलिए उम्त
 खासियों के कारण वाद की फिलफला की हताशता
 होने से एवं वादी। जयों में न्याय नहीं मिलने
 की उम्मीद है न्या दावा का लक्षिक तबयों का
 समावेश करते हुए एवं का लक्षिकों का खुलसा
 करते हुए पेअ कला अक्षरपत्र है ताकि का लक्षिकों
 सामने आये व न्याय मिले।

उम्त तबयों का अंकन करते हुए प्राथमिक
 वाकत बाद किड़ा कल नये वाद प्रस्तुत करने
 की अनुमति के साथ पेश किया।

इन्होंने प्रार्थना पर व वाद पर .

का अचलकिक किप। प्राथमिक पर अधिका
 वाद के सुना। प्राथमिक स्वीकार योग्य
 प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।
 तथा हस्तगत वाद को किड़ा की स्वीकृति
 के साथ नया वाद पेअ करने कि अनुमति
 दी जाती है। तदनुसार वाद वादीगण स्वीकृत
 किया जाता है। फलवली फेशल सुनाए।

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दोहा नमक से कम दो 5/15 लकीम
दाखिल दफ्तर ही

(^{for} 20/06/2018)

RAS

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)